REVIEW OF RESEARCH

'डायन प्रथा' : सांस्कृतिक कुरीति व आर्थिक तनाव

श्री अजीत कुमार[1] , डॉ. अमृत कुमार[2]

[1]सहायक प्रोफेसर, इतिहास विभाग, आत्मा राम सनातन धर्म महाविद्यालय (दिल्ली विश्वविद्यालय), दिल्ली.
[2]सहायक प्रोफेसर, जनसंचार विभाग,
झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय , रांची .

ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514
VOLUME - 8 | ISSUE - 8 | MAY - 2019

सारांश :

समाज का सबसे कमजोर तबका महिला है अतः डायन होने का आरोप महिला के ऊपर लगाना सबसे आसान है। इसमें पारलौकिक शक्तियों की मदद की अनिवार्य आवश्यकता थी अतः यह भी कहा गया कि डायन शैतान के साथ संभोग करती है तथा शैतान के साथ मिलकर प्राकृतिक लाभों से मानव समुदाय को वंचित करने का कार्य करती है और मानव स्वास्थ्य व जीवन के प्रत्येक पक्ष में काला जादू के माध्यम से नकारात्मक प्रभाव डालती है। सामाजिक अंधविश्वास के अंतर्गत केवल महिलाएं ही शैतान के साथ संभोग कर उनका समर्थन हासिल कर सकती थी तथा समयसमय पर शैतान को संभोग का लालच देकर अपने पास बुलाकर उनसे अपना मनचाहा काम करवा सकती थी अतः केवल महिलाओं के ऊपर ही डायन होने का आरोप लगाचूंकि महिला समाज सर्वाधिक कमजोर वर्ग था अतः सबलों के द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन महिला समाज द्वारा नहीं किया जा सक्का और धीरे-धीरे समाज की मानसिकता में डायन प्रथा स्थायी स्थान प्राप्त करने लगी।

शब्द कुंजी:
डायन, चुड़ैल, जादू.

प्रस्तावना :

संस्कृति हमें जीवन जीने की पद्धति प्रदान करती है। सांस्कृतिक जीवनशैली के अंतर्गत संबन्धित समाज के सभी सदस्यों की जीवनदशा का निर्धारण संस्कृति के द्वारा तय होता है। वैश्विक सामाजिक इतिहास के अध्ययन से यह तथ्य स्पष्ट है कि विभिन्न विशिष्ट संस्कृतियों में भी कुरीतियों ने अपना स्थान बनाया तथा समाज के कमजोर वर्ग को शोषण का सामना करना पड़ा। कभी-कभी ये सांस्कृतिक कुरीतियाँ अंधविश्वास नजर आती है तो कभी ये शोषित समाज के प्रति एक सोची समझी साजिश का रूप लेकर आती है। सांस्कृतिक कुरीतियों का सर्वाधिक प्रभाव महिला समाज पर पड़ा। समाज में गालियों व कुप्रथाओं के निर्माण व संबोधन को हम महिला समाज से स्पष्ट रूप से जुड़ा हुआ पाते हैं। इन्हीं कुप्रथाओं में से एक है डायन प्रथा जो अतीत से लेकर वर्तमान तक सांस्कृतिक अंधविश्वास का सहारा लेकर नारी समाज के शोषण का एक प्रतीक बन चुका है।

संस्कृति मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष से जुड़ी होती है। अतः मानवीय मूल्यों का उत्थान व गिरावट दोनों का संबंध सांस्कृतिक रीति रिवाज व मानसिकता से साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ता है। संस्कृति से सामान्य आशय दर्शन, कला व धर्म से लिया जाता है तथा इनपर आधारित साहित्यों के आधार पर अपने इतिहास को सभी देश गौरवशाली बताने का काम करते हैं। जबकि वस्तु स्थिति यह है कि हम विश्व के जिन राष्ट्रों का अध्ययन कर रहे हैं चाहे वो राष्ट्र विकसित, विकासशील या अविकसित हो नारी शोषण के तथ्य लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में रीतिरिवाज व मानसिकता का अध्ययन अनिवार्य हो गया है। यह आवश्यक नहीं कि जो राष्ट्र दर्शन व कला के क्षेत्र में उच्च सांस्कृतिक मूल्यों के लिए जाना जाता हो वहाँ अंधविश्वासी रीति-रिवाज व शोषणकारी मानसिकता नहीं हो। यूनान, रोम, भारत इत्यादि इसके उदाहरण हैं। जहां एक तरफ इन राष्ट्रों में उच्च दर्शनशास्त्र का निर्माण होता रहा वहीं दूसरी तरफ स्लेवरी सिस्टम, दास प्रथा, जादूटोना, अंधविश्वास इत्यादि

सांस्कृतिक जीवन का हिस्सा भी बने रहें। उच्च दर्शनशास्त्र व राजनीतिक विज्ञान ने राष्ट्र को प्रतिष्ठा जरूर प्रदान की लेकिन इसने सबलता सबल पुरुष वर्ग को प्रदान किया जबकि कमजोर वर्ग खासकर महिला के हिस्से में सांस्कृतिक कुरीतियों वाला भाग आया औरयह उनके शोषण का एक प्रमुख कारण बना।

शुरुआती समाज में सांस्कृतिक अंधविश्वास के अंतर्गत आत्माओं का सहारा लेकर प्रतारित करना शुरू किया गया। इसका एक कारण तत्कालीन अर्थव्यवस्था का धर्म आधारित होना था। परिणामतः लोगों का विश्वास इहलोक की जगह परलोक में था अतः अंधविश्वास को परलोक से संबंधित आत्माओं और देवताओं के नाम पर पृथ्वी पर स्थापित किया गया। चूंकि समाज का विश्वास परलोक में ज्यादा था अतः पारलौकिक अंधविश्वासों ने समाज में विश्वास के साथ अपना स्थान ग्रहण कर लिया। उस समय "चुड़ैल" प्रथा काफी प्रचलित रही। ऐसी मान्यता थी कि चुड़ैल बुड़ी आत्मा होती है जो केवल महिलाओं में ही प्रवेश करती है। आगे चलकर विभिन्न आविष्कारों के माध्यम से अर्थव्यवस्था व विश्वास दोनों में विज्ञान ने अपना स्थान बनाना प्रारंभ किया। ऐसी स्थिति में जादू-टोना पर आधारित प्रथा जो जीवित व्यक्ति द्वारा किया जाता है का विकास हुआ। *"जादू वह प्रयास है जिसमें चमत्कारी शक्तियों की मदद से प्राकृतिक प्रक्रियाओं को इच्छानुसार नियंत्रित करने तथा असंभव चीजें हासिल करने की चेष्टा होती है। औरों को नुकसान पहुंचाने वाले इस तरह के प्रयासों को 'काला जादू' कहा जा सकता है तथा अपने, या औरों के फायदे की ऐसी कोशिशों को 'सफ़ेद जादू' का नाम दिया जा सकता है।"*[1] अर्थात चुड़ैल प्रथा के अंतर्गत जहां मानव प्राकृतिक रचनाओं के अधीन था वहीं जादू-टोना प्रथा में मानव प्राकृतिक कृतियों को अपने अधीन कर कार्य करवाने का दावा प्रस्तुत कर रहा था।

जादू-टोना का अस्तित्व व प्रभाव हम संपूर्ण वैश्विक जगत में देखते हैं। सूचना, वैज्ञानिक शिक्षा के अभाव व अर्थव्यवस्था के प्रकृति पर आधारित होने की बेबसी की स्थिति में मानव मनोविज्ञान यह सोचने लगा कि कोई जीवित व्यक्ति है जो प्रकृति को अपने बस में करके उनकी अर्थव्यवस्था व उनके परिवार और उनको नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसी ही विछिप्त मानसिकता की स्थिति में 'डायन' प्रथा की अवधारणा का विकास हुआ। समाज का सबसे कमजोर तबका महिला थी अतः डायन होने का आरोप महिला के ऊपर लगाना सबसे आसान था। इसमें पारलौकिक शक्तियों की मदद की अनिवार्य आवश्यकता थी अतः यह भी कहा गया कि डायन शैतान के साथ संभोग करती है तथा शैतान के साथ मिलकर प्राकृतिक लाभों से मानव समुदाय को वंचित करने का कार्य करती है और मानव स्वास्थ्य व जीवन के प्रत्येक पक्ष में काला जादू के माध्यम से नकारात्मक प्रभाव डालती है। सामाजिक अंधविश्वास के अंतर्गत केवल महिलाएं ही शैतान के साथ संभोग कर उनका समर्थन हासिल कर सकती थी तथा समय-समय पर शैतान को संभोग का लालच देकर अपने पास बुलाकर उनसे अपना मनचाहा काम करवा सकती थी अतः केवल महिलाओं के ऊपर ही डायन होने का आरोप लगा। चूंकि महिला समाज सर्वाधिक कमजोर वर्ग था अतः सबलों के द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन महिला समाज द्वारा नहीं किया जा सका और धीरे-धीरे समाज की मानसिकता में डायन प्रथा स्थायी स्थान प्राप्त करने लगी।

शुरुआती समाज में डायन प्रथा के अंतर्गत महिलाओं को सामान्य दंड धार्मिक संस्थाओं द्वारा दिया जाता था लेकिन अर्थव्यवस्थाओं की बदलती प्रकृति अर्थात कृषि अर्थव्यवस्था से औद्योगिक अर्थव्यवस्था में बदलाव के दौर में किसानों की बदहाल स्थिति, युद्ध के समय हार की स्थिति, अकाल की स्थिति, श्रमिकों के शोषण की स्थिति इत्यादि सभी विपरीत परिस्थितियों के लिए 'डायन' को ही जिम्मेदार ठहराया गया। और शोषण व दंड की स्थिति भयावह होने लगी। औद्योगिक क्रांति व पूंजीवादी व्यवस्था के उदय के साथ जब अर्थव्यवस्थाओं का संघर्ष और बढ़ गया तब डायन होने का आरोप अपने चरम पर पहुँच गया। खासकर संपूर्ण यूरोप में डायन प्रथा महिलाओं के लिए अभिशाप बन गयी। डायन अभियोग की चरम मानसिक विछिप्त अवस्था है समाज के सर्वाधिक कमजोर वर्ग महिला के ऊपर आरोप व खासकर विधवा महिला के ऊपर आरोप जिसके पक्ष में बोलने वाला कोई नहीं था। डायन अभियोग केवल असहाय महिला के ऊपर ही लागू होता है।

शोध का उद्देश्य

- अंधविश्वास के अंतर्गत डायन प्रथा के संदर्भ में सामाजिक मानसिकता का अध्ययन करना।
- आर्थिक तनाव व अंधविश्वास के संबंध का अध्ययन करना।

[1] **विजय, देवेश. (2009). सांस्कृतिक इतिहास एक तुलनात्मक सर्वेक्षण दिल्ली: हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, पृष्ठ संख्या 163**

- महिला संबंधी अंधविश्वासों खासकर डायन प्रथा के कारणों का पता लगाना।

शोध के प्रश्न

- वैज्ञानिकता के विकास के बावजूद भी अंधविश्वास का अस्तित्व क्यों बना हुआ है ?
- डायन अभियोग के अंतर्गत अधिकांशतः विधवा महिलाएं ही क्यों प्रताड़ित की जाती है?
- क्या कारण है कि जंगलों की अधिकता वाले क्षेत्रों में डायन अभियोग ज्यादा लगाया जाता है?

डायन अभियोग : अवधारणात्मक परिचय

अंधविश्वास को सामान्य तौर पर अतार्किक तथ्यों के आधार पर निर्मित विश्वास के साथ जोड़ा जाता है। माना जाता है कि अगर हम वैज्ञानिक तर्क करने लगेंगे तो अंधविश्वास की समाप्ति हो जाएगी। लेकिन अगर हम भारतीय व वैश्विक संदर्भ में देखें तो वैज्ञानिकता के क्षेत्र में विकास कर चुके स्थानों पर भी अंधविश्वास प्रासंगिक है जैसे ब्रिटेन अमेरिका आदि विकसित राष्ट्र। वास्तव में विज्ञान आधारित तर्क से अंधविश्वास की समाप्ती तब संभव थी जब संबन्धित क्षेत्र की संस्कृति पूर्ण रूप से विज्ञान आधारित होती। जब विज्ञान हमें किसी बिन्दु पर संतुष्ट नहीं कर पाता तब हम अपने आप अलौकिक तर्कों का सहारा लेने लगते हैं ऐसी स्थिति में संबन्धित मानव अंधविश्वास की ओर बढ़ने लगता है। चुकी वह मानव अपने प्रश्नों के उत्तर को ढूंढ रहा होता है अतः उसकी मनोवैज्ञानिक दशा अंधविश्वास द्वारा प्रदत्तउत्तर को स्वीकार कर लेता है। ऐसी ही स्थितियों में अंधविश्वास आधारित विश्वास स्थायित्व ग्रहण करने लगता है।

आखिर क्या कारण है कि विज्ञान आधारित तर्क लगातार आलोचना के शिकार होते रहते हैं। स्वयं वैज्ञानिक आधारित तर्क देने वाला व्यक्ति कुछ और अध्ययन के उपरांत अपने ही तर्क में कुछ संवर्धन या संशोधन करने लगता है। जबकि अंधविश्वास हर परिस्थिति में समान प्रभाव के साथ मौजूद होता है। इस अंतर को समझने के लिए हमें विज्ञान व अंधविश्वास की प्रविधि पर ध्यान देना होगा। विज्ञान जहां हमेशा नए-नए प्रयोग तथा प्राकृतिक गुत्थियों को धीरे-धीरे सुलझाने के साथ आगे बढ़ता है तथा अपने परिणाम में पूर्णता का दावा प्रस्तुत नहीं करता वहीं अंधविश्वास कोई नया प्रयोग न कर प्राकृतिक रहस्यों को समझने से ज्यादा स्वीकार करने पर बल देता है और अंततः अपने परिणाम में पूर्णता का दावा प्रस्तुत करता है। अर्थात विज्ञान किसी समस्या का समाधान कर यहनहीं कहता कि यह पूर्ण समाधान है विज्ञान कहता है कि उसके द्वारा जो समाधान प्रस्तुत किया जा रहा है वह उसके द्वारा अर्जित ज्ञान के आधार पर किया गया है होसकता है आगे चलकर नए प्रयोगों से अर्जित ज्ञान को प्राप्त कर वह इसका समाधान और बेहतर कर सकेगा। वहीं अंधविश्वास समस्या समाधान के पूर्णता की बात करता है और कहता है कि उसके द्वारा प्रस्तुत समाधान पूर्ण है। अतः मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानव विज्ञान से ज्यादा अंधविश्वास से मानसिक शांति प्राप्त करता है। विचलित होने की अवस्था में मानव प्रयोग आधारित पूर्णता का दावा नकरने वाले वैज्ञानिक समाधान की तुलना में समस्या के पूर्ण समाधान का दावा प्रस्तुत करने वाले अंधविश्वास की ओर ज्यादा विश्वास करने लगता है। कईबार मानव वैज्ञानिक तर्क को ज्यादा प्रभावी मानता है लेकिन अलौकिक तथ्यों को भी स्वीकार करता है और इसे विज्ञान के साथ जोड़कर देखते हैं जैसे "*खगोलशास्त्री ज्योतिषशास्त्र को भी संबद्ध विज्ञान के रूप में देखते थे वहीं आधुनिक छपाई के विस्तार के बाद, आम आदमी में भी पंचांगों के माध्यम से अपना भविष्य जानने की प्रवृत्ति अभूतपूर्व रूप से बढ़ गई*"[2]

अंधविश्वास के अंतर्गत जादू एक ऐसीविधा है जिसके माध्यम से समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने का दावा प्रस्तुत किया जाता है। सामान्य व्याख्याओं में धर्म और अंधविश्वास को एक साथ जोड़कर दिखाया जाता है जबकि दोनों की अवधारणा में अंतर है धर्म में जहां ईश्वर व आत्मा के प्रति समर्पण का भाव है वहीं अंधविश्वास आधारित जादू में ईश्वर और आत्मा पर नियंत्रण का भाव है। अंधविश्वासी मान्यताओं के अंतर्गत ईश्वर और आत्मा पर नियंत्रण हेतु काला जादू सर्वाधिक प्रभावी माना जाता है और काला जादू का ज्ञान रखने वाली महिलाओं को डायन की संज्ञा दी जाती है।

डायन अभियोग को समझने के लिए हमें सामाजिक मनसिकताओं व तत्कालीन परिस्थियों को समझना होगा। जबजब समाज में आर्थिक व राजनीतिक असंतुलन का उदय हुआ तथा विज्ञान उन समस्याओं को सुलझाने में नाकाफी रहा तब लोग अपने आप अंधविश्वासों की चपेट में आने लगे। आगे व्याख्या करतेहुये कहा जा सकता है कि जब कभी मानवीय जीवन में असंतुलन हुआ और मानव उसके कारणों

[2] **विजय, देवेश. (2009). सांस्कृतिक इतिहास एक तुलनात्मक सर्वेक्षण दिल्ली: हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय. पृष्ठ संख्या 166**

का पता लगाने में असफल रहा या समाधान कर पाने में असफल रहा उस क्रम में मानव वास्तविकताओं से दूर होता चला गयाऔर इस अंतर को भरने का काम अंधविश्वास ने किया। तथा अंधविश्वास ने समाज ष अपनी पकड़ मजबूत कर ली। अंधविश्वास का एक प्रमुख गुण है कि वह पूर्ण समाधान प्रस्तुत करने का दावा प्रस्तुत करता है। दावा प्रस्तुति के अंतर्गत किसी न किसी को असंतुलन क्वोषी करार दिया जाना अनिवार्य था समाज का सबसे कमजोर वर्ग के निश्चित रूप में महिला ही थी अतः महिला को दोष देना आसान था। अब अंधविश्वास ने महिला को दोषी करार दिया और समाज के पितृसत्तात्मक होने के कारण महिलाओं के ऊपर यह आरोप तय करने में ज्यादादक्कित नहीं हुई कि संबन्धित महिला के कारण ही उनके जीवन में असंतुलन है। ऐसी स्थिति में डायन अभियोग को सामाजिक मान्यता मिल गई और मानव मन ने अपनी असफलताओं या सीमाओं का कारण स्वयं को ना मानते हुये काला जादू को माना। मानव समाज का जीवन जितराजनीतिक व आर्थिक असंतुलन के दौर से गुजरता गया उतना ही ज्यादा डायन अभियोग बढ़ता गया। धीरेधीरे राजनीतिक और आर्थिक असंतुलन से उपजे स्वास्थ्य व अन्य समस्याओं की ज़िम्मेदारी भी डायन के ऊपर लाद दी गई।

वैश्विक स्तर पर डायन अभियोग

वैश्विक संदर्भ में बात करे तो शिक्षा और विज्ञान के विकास के साथ समाज में यह मान्यता भी स्थापित होने लगी कि सभीरहस्यों व समस्याओं का पूर्ण समाधान केवल विज्ञान द्वारा संभव नहीं है लेखक देवेश विजन अपनी पुस्तक सांस्कृतिक इतिहास एकतुलनात्मक सर्वेक्षण में लिखते हैं "प्रारम्भिक आधुनिक काल की शुरुआत (15वीं – 17वीं शताब्दियों) में विज्ञान और शिक्षा के साथ-साथ अंधविश्वासों और धार्मिक कट्टरता के विकास का एक और उदाहरण उस युग में तेजी से बढ़ने वाले डायन अभियोग हैं।"[3] अर्थात अगर हम इसकी व्याख्या करें तो कहा जा सकता है कि अंधविश्वासों की पकड़ में केवल अशिक्षित व्यक्ति ही नहीं है अपितु शिक्षित व्यक्ति भी है और डायन प्रथा शिक्षित और अशिक्षित दोनों समाज में मौजूद है।

प्रारम्भ में डायन को चर्च के माध्यम से हल्की सजा मिलती थी लेकिन बाद में मृत्युदंड भी दिया जाने लगा। हालत यहहो गई कि यूरोप में 15वीं शताब्दी में शासनतंत्र को डायन को दंड देने के लिए कानून बनाना पड़ा। इस तथ्य की पुष्टिजे.ए.*शार्प की पुस्तक अर्ली मॉडर्न इंग्लैंड (1987) से कर सकते है जहां उन्होंने लिखा है "डायनों को ढूँढने और उन्हें सजा देने के लिए नयेनये कानून, ब्रिटेन तथा फ्रांस समेत कई देशों में बनाए गए।*वहीं डायनों पर अभियोग और मृत्युदंड की मात्रा में17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से ही गिरावट आ पाई।"[4]

भारत में डायन अभियोग

भारत ने आजादी के पश्चात हर मोर्चे पर प्रगति का दावा प्रस्तुत किया। शिक्षा और विज्ञान केविकास हेतु नई योजनाओं का निर्माण किया गया। लेकिन प्रगति के साथ साथ-साथ देश में अंधविश्वास भी बढ़ता गया। खासकर महिलाओं से संबंधित अंधविश्वास। इन अंधविश्वासों में डायन अभियोग ने महिलाओं को मानसिकशारीरिक, आर्थिक इत्यादि सभी प्रकार की अमानुसिक यातना दीं। झारखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार इत्यादि राज्यों में डायन अभियोग लगाकर महिलाओं को प्रतारित करने की घटनाएँ सामने आती रहती हैं। कभी-कभी तो इस अभियोग को लगाकर महिलाओं की हत्या भी कर दी जाती है। "संयुक्तराष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत में 1987 से लेकर 2003 तक, 2 हजार 556 महिलाओं के हत्या की गई थी।"[5] इस रिपोर्ट से हम भारत में डायन अभियोग के नाम पर हो रही हत्याओं की भयावहता का अंदाजा लगा सकते हैं। समाज की मानसिकता का स्तर इतना दुर्बल होता जा रहा है की जो महिला इसके विरोध में स्वर उठती है उसे भी डायन करार देने की कोशिश होती है। भारत वर्ष में अधिकांशतः विधवा महिलाओं को करार दिया जाता है इसके अलावा पुरुष दूसरी शादी करने के लिए भी पहली पत्नी पर डायन होने का आरोप लगते हैं

[3] **विजय, देवेश. (2009). सांस्कृतिक इतिहास एक तुलनात्मक सर्वेक्षण दिल्ली: हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय पृष्ठ संख्या 166**

[4] **विजय, देवेश. (2009). सांस्कृतिक इतिहास एक तुलनात्मक सर्वेक्षण दिल्ली: हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय पृष्ठ संख्या 167**

[5] http://hindi.webdunia.com/national-hindi-news/%E0%A4%A1%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%A8-%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%97%E0%A4%B2-%E0%A4%B0%E0%A4%B9%E0%A5%80-%E0%A4%B9%E0%A5%88-%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%A4-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%93%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%8B-112070500030_1.htm

महिलाओं को उनकी संपत्ति के अधिकारों सेवंचित करने हेतु समाज से बहिष्कृत कर यौन शोषण करने के उद्देश्य से इत्यादि स्थितियों में महिलाओं को डायन करार दे दिया जाता है। खास बात यह होती है कि डायन करार देने वाला व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठित या प्रभावशाली स्थान पर काबिज होता है। अधिकांशतः ओझा-गुणी, साहूकार, तांत्रिक आदि द्वारा डायन होने का अभियोग लगाया जाता है। चूंकि समाज के प्रभावशाली और प्रतिष्ठित वर्ग के द्वारा यह आरोप लगाया जाता है अतः उनके घर की महिलाओं पर यह आरोप यदाकदा ही लगता है अधिकांश यह आरोप समाज के कमजोर, निर्धन व दलित-आदिवासी महिलाओं केऊपर लगाया जाता है। ऐसा नहीं है कि सरकार को इस अंधविश्वास के जरिये महिलाओं पर हो रहे अत्याचार की जानकारी नहीं है। सरकार द्वारा इसे रोकने के लिए कानून भीबनाया गया है। "असम में विधानसभा ने डायन हत्या निवारक कानून (प्रीवेंशन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम विच-हंटिंग बिल, 2015) पारित किया था। इस कानून में किसी स्त्री को डायन करार देने वाले यानी ओझा को तीन से पांच साल की सख्त सजा और 50 हजार से पांच लाख रुपये तक केजुर्माने का प्रावधान है। डायन बता कर जुल्म करनेवाले को पांच से 10 साल की सजा और एक से पांच लाख रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगर ऐसे मामलों में किसी समूह को दोषी पाया जाता है, तो उस समूह के हर व्यक्ति को पांच से 30 हजार रुपये तक का जुर्माना देना होगा. डायन बता कर किसी की हत्या करने पर धारा 302 के तहत मुकदमा चलाने का भी प्रावधान है"[6] लेकिन कानून बनाने के बावजूद भी महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों में कमी नहीं आयी। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में यह कुप्रथा अपना प्रभाव कायम रखे हुये है।देश के जिन क्षेत्रों में जहां आदिवासी समाज अधिकांश संख्या में निवास करता है वहाँ इस कुप्रथा के प्रभाव कुछ ज्यादा ही दिखाई पड़ता है। हाल के वर्षों में जो रिपोर्ट सामने आयी है उनके अनुसार आदिवासी क्षेत्रों में डायन अभियोग के नाम पर महिलाओं के ऊपर अत्याचार औरकी हत्या के मामले लगातार सामने आ रहें हैं। झारखंड मूलतः एक आदिवासी राज्य है और यहाँ से भी डायन अभियोग के समाचार लगातार प्रकाश में आ रहे हैं।

झारखंड में डायन अभियोग

झारखंड राज्य में डायन अभियोग के माध्यम से महिलाओं पर अत्याचार खासकर आदिवासी महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएँ लगातार प्रकाश में आ रही है। इस अभियोग के नाम पर लगातार महिलाओं की हत्या हो रही है। झारखंड में अधिकांश डायनअभियोग के समाचार खूंटी, गुमला, सिमडेगा, लोहरदग्गा, से हैं ये सभी जिले आदिवासी बाहुल्य जिले हैं। अगर आकड़ों पर गौर करें तो पिछले कुछ वर्षों में सरकारी आकड़ों के मुताबिक "डायन और जादू टोना के नाम पर वर्ष 2011 में 36, वर्ष 2012 में 33, वर्ष 2013 में 47, वर्ष 2014 में 38, वर्ष 2015 में 47 महिलाओं की हत्या हुई"[7] वास्तविक आकड़ें इनसे ज्यादा भी हो सकते हैं। एक अन्य श्रोत के अनुसार "वर्ष 2012 में झारखंड मेंडायन प्रताड़ना के 1200 तो डायन हत्या के लगभग 150 मामले दर्ज हुए हैं।"[8] विभिन्न श्रोत के माध्यम से अलग-अलग आकड़ें प्राप्त हो रहे हैं लेकिन इतना स्पष्ट है कि आदिवासी क्षेत्रों में डायन अभियोग के नाम पर महिलाओं पर अत्याचार की स्थितिभयावह है।

आदिवासी समाज समानता पर आधारित माना जाता है। आदिवासी समाज की अर्थव्यवस्था में भी आदिवासी महिलाओं का पुरुषों के समान योगदान होता है। आदिवासी समाज के महिलाओं की भूमिका केवल गृहणी के रूप में न होकर कठोर शारीरिक श्रम के द्वारा अर्थोपार्जन में भी होती है। सांस्कृतिक रूप से पुरुषों के समान मनोरंजन कार्यक्रम में भाग लेनेएक समान खाद्य व पेय पदार्थों का उपभोग करना आदि कुछ ऐसी विशिष्ट समानताएं हैं जो गैर आदिवासी समाज की महिलाओं को प्राप्त नहीं है। फिर भी आदिवासी क्षेत्र में महिलाओं के ऊपर डायन अभियोग का लगना कारणों की पड़ताल की मांग करता है।

आदिवासी क्षेत्र में डायन अभियोग लगने के कारण

[6] http://www.dw.com/hi/%E0%A4%A1%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%A8-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A5%E0%A4%BE-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%A8%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%82-%E0%A4%B2%E0%A4%97-%E0%A4%B8%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%85%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A5%81%E0%A4%B6/a-36821369

[7] http://www.bbc.com/hindi/india/2016/07/160717_witch_hunt_jharkhand_tk

[8] http://hindi.webdunia.com/national-hindi-news/%E0%A4%A1%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%A8-%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%97%E0%A4%B2-%E0%A4%B0%E0%A4%B9%E0%A5%80-%E0%A4%B9%E0%A5%88-%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%A4-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%93%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%8B-112070500030_1.htm

डायन के ऊपर सबसे प्राथमिक स्तर पर यह आरोप लगता है कि डायन अपने जादू टोने के माध्यम से मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करती है तथा मानव मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यह आरोप आदिवासी क्षेत्र में ही सबसे ज्यादा क्यों लगता है इसके उत्तर के लिए हमें चिकित्सा सुविधाओं पर दृष्टि डालनी होगी। सर्व प्रथम हम देखें तो आदिवासी समाज अपनी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के माध्यम से अपनी अस्तित्व को आर्यों के आगमन के पूर्व से लेकर वर्तमान तक बनाएँ हुआ है। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि आदिवासी समाज अपनी बीमारियों के लिए डायन जैसे अंधविश्वासों का सहारा लेने लगा। चिकित्सा कारणोंकी पड़ताल करते हुये महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के शोधार्थी डॉ. अमृत कुमार के शोध प्रबंध के अनुसार"आजादी के पश्चात सरकार द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में कानून बनाकर आदिवासियों के वन अधिकारों को सीमित कर दिया तथा चिकित्सा सुविधाओं को मानकों के अनुसार आदिवासी क्षेत्रों में स्थापित नहीं किया। जहां स्वास्थ्य केंद्र बनाया भी गया वहाँ भी डॉक्टरों की अनुपस्थिति लगातार बनी रही। यहाँ तक कि बीमारियों से संबंधित जागरूकता को फैलाने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या में लगभग50 प्रतिशत तक कमी के कारण आदिवासी बीमारियों के बचाव से परिचित नहीं हो पा रहे थे।"[9] ऐसे में बीमार पड़ने के पश्चात जंगल जिनपर से सरकार द्वारा उनके अधिकारों को सीमित कर दिया गया है बीमारी का इलाज कर पाने में सक्षम नहीं है और अस्पताल इतनी दूर स्थित होता है कि वहाँ पहुँचना मुश्किल होता है, अगर अस्पताल पहुँच भी जाएँ तो डॉक्टर की अनुपलब्धता के कारण इलाज नहीं हो पाता। ऐसे में व्यक्ति गाँव में स्थित ओझा-गुणी के पास जाने को बाध्य होता है और बीमार व्यक्ति काल के गाल में समा जाता है। ओझा अपनी असफलता को स्वीकार नहीं करता तथा अपनी असफलता को छिपाने के लिए किसी के ऊपर आरोप आरोपित कर देता है। ओझा उसी गाँव का सदस्य होता है अतः उसे ग्रामीण स्थितियों का आभास होताहै और वह ऐसे व्यक्ति को आरोपित करता है जिसे लोग सहज ही आरोपी स्वीकार कर लेते हैं। गरीब, असहाय व विधवा महिला के ऊपर ही यह आरोप लगाया जाता है क्योंकि उसका पक्ष सुने बगैर एकतरफा निर्णय लेने में ज्यादा विरोध का सामना नहीं करना पड़ता है। महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ने वालों की माने तो ओझा पुरुष होता है तथा महिलाओं के ऊपर आरोप लगाना पितृसत्ता की विक्षिप्त मानसिकताको दर्शाता है।

आदिवासी क्षेत्रों में सरकार ने विकास के नाम पर कई उद्योग स्थापित किए। कल कारखानों ने वातावरण को प्रदूषित किया, खासकर परमाणु कचरों के निस्तारण ने क्षेत्र में ऐसी बीमारियों को जन्म दिया जो जिसके बारे में लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक तो ऐसी बीमारी जिसके बारे में आदिवासियों ने अबतक सुना ही न हो तथा जिसका इलाज सरकार के आधुनिक अस्पतालों में भी उपलब्ध न हो ऐसी स्थिति में यह मान लेना स्वाभाविक था कि ये बीमारियाँ जादू-टोना के द्वारा की जा रही है। और डायन की अवधारणा में ही शामिल है कि डायन प्रकृति को अपनी इच्छा के अनुसार संचलित कर मानव का अहित करती है। अतः विकास के नाम पर आदिवासियों को सरकार के द्वारा दी जाने वाली नई किस्म की बीमारियों के लिए भी जिम्मेदार डायन को माना गया।

वन पर से आदिवासियों के अधिकार को सीमित कर देने का प्रभाव आदिवासियों की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। आदिवासी अब जंगल के स्वामी से एकाएक दिहाड़ी मजदूर हो गए थे। आदिवासी क्षेत्रों में स्थापित उद्योग में काम करने के लिए अधिकारीगैर आदिवासी होते थे जिन्हें सरकार के द्वारा वेतन मिलता था तथा वें समृद्ध थे। आदिवासी व्यवस्था में प्रत्येक सदस्य को समान सम्मानमिलता है जबकि नई व्यवस्था में अधिकारी गैर आदिवासियों को ज्यादा सम्मान मिलता था तथा मजदूर आदिवासियों को सम्मान नहीं मिलता था एकाएक से जंगल के स्वामी से दिहाड़ी मजदूर तथा सम्मान मिलने में गैर बराबरी आदिवासी समाज के लिए एक आश्चर्यजनक घटना थी उन्होंने कभी कल्पना ही नहीं की थी कि जंगल और बराबरी के सम्मान के अधिकार से वो कभी वंचित भी हो सकते हैं। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के शोधार्थी डॉ. अमृत कुमार अपने शोध प्रबंध में लकड़ी बेचने वाली आदिवासी महिला के साक्षात्कार के आधार पर लिखते हैं कि "जिन जंगलों में कभी आदिवासी निर्भीक घूमा करते थे, जहां के वें राजा था अब उन्हीं जंगलों में उन्हें अपराधी या चोर की निगाह से देखा जाता है।"[10] एकाएक इतना बड़ा नकारात्मक परिवर्तन आदिवासी समाज स्वीकार नहीं कर सका परिणामस्वरूप इस घटना को भी उसने जादू-टोने से जोड़ना शुरू कर दिया और अंततः काला जादू के अंतर्गत डायन को आदिवासी समाज ने इस घटना के लिए जिम्मेदार माना।

झारखंड में 17 लाख आदिवासी परिवार निवास कर रहें है तथा इनमें से लगभग 7 लाख आदिवासी परिवार विस्थापन का दर्द झेल रहे हैं और इनमे से अधिकांशतः2 से 3 बार विस्थापन का दर्द झेल रहें हैं। विस्थापित जीवन ने इनकी अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य को बुरी

[9] **कुमार, अमृत.(2016). स्वास्थ्य चेतना और मीडिया दृष्टिकोण (झारखंड राज्य के आदिवासी समाज के विशेष संदर्भ में). अप्रकाशित पीएच.डी. शोध प्रबंध. पृष्ठ संख्या: 2**

[10] **कुमार, अमृत.(2016). स्वास्थ्य चेतना और मीडिया दृष्टिकोण (झारखंड राज्य के आदिवासी समाज के विशेष संदर्भ में). अप्रकाशित पीएच.डी. शोध प्रबंध. पृष्ठ संख्या: 76**

तरह प्रभावित किया है। और यह विस्थापन भी एकाएक हुआ आदिवासी समझ ही नहीं पाएँ कि आखिर उन्हीं के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सरकार तो दूर दिल्ली में थी जहां तह पहुँच कर अपनी बात रखना उनके लिए असंभव सा था जो कभी जंगलों से बाहर ही नहीं निकलें। अतः विस्थापन से एकाएक उपजी समस्याओं का कारण भी जादूटोना को मान लिया गया।

आदिवासी समाज सरकार की गलतियों के कारण जिन बीमारियों को झेल रहा है उन बीमारियों का ईलाज आधुनिक चिकित्सा भी करने में नाकाम रही। जैसे परमाणु कचरों के निस्तारण से उपजे रोग, एंथरेक्स आदि। अतः संबंधित आदिवासियों को विश्वास हो गया है ऐसे रोग जादू-टोने के द्वारा ही लाये गए हैं और इनका समाधान भी जादू-टोने से ही होगा।

निष्कर्ष-

डायन अभियोग मूलतः अर्थव्यवस्था के टकराहट के उपरांत उत्पन्न होती है। जहां पिछड़ने वाली अर्थव्यवस्था के लोगों अपने पिछड़ने का सही कारण ढूंढ न पाने की स्थिति में जादूटोना को ही कारण मान बैठते हैं। अपने से कमजोर लोगों को बिना उसकी राय जाने दोष व दंड देना काफी आसान होता है तथा समाज कुछ आदिवासी समुदाय छोडकर पृतृसत्तात्मक है ऐसे में महिलाओं के ऊपर डायन अभियोग लगाकर उन्हें दंडित करना काफी आसान है अतः डायन अभियोग केवल महिलाओं के ऊपर लगाया गया।

आदिवासी क्षेत्र खासकर झारखंड की बात करें तो यहाँ जादूटोने का अस्तित्व तो पहले से था लेकिन डायन अभियोग का विस्तार सरकारी नीतियों की खामियों के कारण हुआ। सरकार ने आदिवासियों की अर्थव्यवस्था, उनकी चिकित्सा पद्धति, उनके निर्णय लेने की क्षमता इत्यादि को सीमित किया तथा बदले में आधारभूत चिकित्सा व आर्थिक संरचना के निर्माण को करने में अपनी रुचि नहीं दिखाई। परिणामस्वरूप लोगों में अंधविश्वास की बढ़ोत्तरी होती गयी और समाज में डायन अभियोग बढ़ता गया।

सरकार ने विकास के नाम पर आदिवासियों से केवल बलिदान की आशा रखी बदले में उनके बलिदान का मान सम्मान सरकार के द्वारा नहीं रखा गया। अर्थात आदिवासियों की जमीन पर उद्योग तो लगे लेकिन आदिवासियों के हिस्से में आया दिहाड़ी मजदूरी, विस्थापन, नई-नई बीमारियाँ। आर्थिक विपन्नता, बदहाल स्वास्थ्य स्थिति, अपने ही मूल स्थान पर मालिक से मजदूर का बनाना और इन सबके उपरांत कहीं से मदद की कोई आस-उम्मीद का न होना के पश्चात संबंधित आदिवासी समाज अंधविश्वास की चपेट में आ गया तथा डायन अभियोग की संख्या बढ़ने लगी।

सुझाव

सरकार को आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ सेवा पर व्यावहारिक ध्यान देना चाहिए। जिसके अंतर्गत डॉक्टरों को आदिवासी जीवन से संबंधित ज्ञान प्रदान करना, प्रत्येक टोले में अस्पताल का निर्माण करना, चिकित्सा कर्मियों की उपलब्धता को सुनिश्चित करवाना, दवाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करवाना चाहिए।

वन अधिकार कानून के अंतर्गत उन्हें जो अधिकार दिये गए हैं उनके प्रयोग करने की स्वतन्त्रता को सुनिश्चित करवाना।

जिस किसी भी आदिवासी परिवार को विस्थापित किया गया है उनके स्वास्थ्य, आवास, अर्थव्यवस्था, परिवहन की व्यवस्था करवाना तथा समय-समय पर उसकी समीक्षा भी करवाना।

सामाजिक अध्ययन के उपरांत ही आदिवासी क्षेत्रों में विकास की नीति को लागू करना।

संदर्भ ग्रंथ सूची

पुस्तक सूची

- **विजय, देवेश. (2009). सांस्कृतिक इतिहास एक तुलनात्मक सर्वेक्षण. दिल्ली: हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय**
- **कुमार, अमृत.(2016). स्वास्थ्य चेतना और मीडिया दृष्टिकोण (झारखंड राज्य के आदिवासी समाज के विशेष संदर्भ में). महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा. अप्रकाशित पीएच.डी. शोध प्रबंध. पृष्ठ संख्या- 2**

- तिवारी, राम, कुमार. (2006). झारखंड का भूगोल. रांची : शिवगंगा प्रकाशन
- माजी, महुआ. (2012). मरंग गोड़ा नीलकंठ हुआ. नयी दिल्ली: राजकमल प्रकाशन
- श्रीवास्तव, लोकेश,. और रानी, ऋतु. (2010). जनजातीय स्वास्थ्य. नयी दिल्ली: यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन
- संदीप. (2013). नाभिकीय मुक्त दुनिया की ओर नयी दिल्ली: वाणी प्रकाशन
- हसनैन, नदीम. (2010). जनजातीय भारत. नयी दिल्ली: जवाहर पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स
- Piecing Together Perspectives on Witch Hunting A Review of Literature. New Delhi. Partners for Law in Development

वेबसाइट सूची

- hindi.webdunia.com/national-hindi-news
- www.dw.com
- www.bbc.com/hindi/india
- hindi.webdunia.com/national-hindi-news

श्री अजीत कुमार

सहायक प्रोफेसर, इतिहास विभाग, आत्मा राम सनातन धर्म महाविद्यालय (दिल्ली विश्वविद्यालय), दिल्ली.

डॉ. अमृत कुमार

सहायक प्रोफेसर, जनसंचार विभाग, झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय ,रांची .

LBP PUBLICATION